



2026:AHC: 179908

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 855 वर्ष 2026

एक्स-किशोर

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता

: पीयूष पटेल, प्रदीप कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: आत्माराम नाडीवाल, दिनेश कुमार यादव,
शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

1. विपक्षी पर नोटिस पहले ही तामील किया जा चुका है लेकिन राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को छोड़कर, उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणवादी द्वारा अपने नैसर्गिक संरक्षक के माध्यम से किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 जिसे इसके पश्चात जे.जे. अधिनियम, 2015 कहा गया है की धारा 102 के अंतर्गत वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार करने और विद्वान बाल न्यायालय/अपर सत्र न्यायाधीश, महाराजगंज द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 20.12.2025 तथा प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, महाराजगंज द्वारा आपराधिक अपील संख्या 80 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 को अपास्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जो जांच संख्या 282 वर्ष 2025 एक्स किशोर अवयस्क बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



और अन्य से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 488 वर्ष 2025, बीएनएस 2023 की धारा 107, 351(3), 61(2), पुलिस थाना कोतवाली, जिला महाराजगंज से उत्पन्न हुआ है, जिसके माध्यम से अवर न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणवादी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया है।

4. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि इस वाद में, वह निर्दोष है और उसे मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि कथित घटना के समय, पुनरीक्षणवादी की आयु 14 वर्ष 02 महीने और 09 दिन निर्धारित की गई थी और वह 08.09.2025 से संप्रेक्षण गृह में है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सूचनादाता द्वारा वर्तमान पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने और उसके शरीर पर चोटें पहुंचाने के पश्चात उसे पेड़ से लटकाने का संदेह व्यक्त किया गया था। मामला प्रारंभ में भा.द.सं. की धारा 302 और बीएनएस की धारा 103 के अंतर्गत दर्ज किया गया था लेकिन विवेचना के दौरान, अभियोजन का पक्ष झूठा पाया गया और वाद बीएनएस की धारा 107 और भा.द.सं. की धारा 306 के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यह दर्शाए कि वर्तमान पुनरीक्षणवादी ने पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए उकसाया है। दूसरी ओर उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि चूंकि पीड़िता पुनरीक्षणवादी के साथ बातचीत कर रही थी, यही कारण था कि उसे उसके माता-पिता-सूचनादाता द्वारा पीटा गया था और तत्पश्चात, घटना से व्यथित होकर, उसने अपने दुपट्टे से एक पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्तमान अपचारी के प्रतिकूल कुछ भी नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अंतर्विष्ट प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। विद्वान जे.जे. बोर्ड ने जमानत आवेदन तय करते समय इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया और विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अपील को खारिज करते समय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार नहीं किया जिसे विधिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। अपचारी 08.09.2025 से किशोर बाल गृह में है और उसका मनोविज्ञान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, इसलिए, जे.जे. बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने और आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने पूर्वोक्त प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि पीड़िता के शरीर पर पाई गई चोटें पुनरीक्षणवादी और अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा एक पेड़ से लटकाए जाने के कारण कारित की गई थीं, इस प्रकार पुनरीक्षणवादी को निर्दोष नहीं कहा जा सकता है।

6. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों, पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत अभिवेदनों, अभिलेख के परिशीलन, पीड़िता और अपचारी की आयु, प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिला परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अंतर्विष्ट प्रावधानों तथा डी.पी.ओ. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि जे.जे. बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों और अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर उचित तरीके से विचार नहीं किया है बल्कि अपना न्यायिक विवेक का उपयोग किए बिना आदेश पारित किया है। इस प्रकार, इस पुनरीक्षण में आधार प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

7. तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक **24.11.2025** और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक **20.12.2025** एतद्वारा अपास्त किए जाते हैं और वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण एतद्वारा **स्वीकार** किया जाता है।

8. यह निर्देश दिया जाता है कि **रामकेवल के पुत्र एक्स किशोर** को पुनरीक्षणवादी अपचारी के विधिक संरक्षक द्वारा एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रत्येक संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) पुनरीक्षणवादी/नैसर्गिक संरक्षक एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि जमानत पर रिहा होने पर पुनरीक्षणवादी को किसी भी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी या किसी भी नैतिक, शारीरिक, या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके अतिरिक्त पिता यह सुनिश्चित करेगा कि किशोर अपराध को नहीं दोहराएगा।
- (ii) पुनरीक्षणवादी/नैसर्गिक संरक्षक इस आशय का एक और वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि किशोर उचित स्तर पर अपना अध्ययन करेगा जिसके लिए उसे अन्य रचनात्मक गतिविधियों के अतिरिक्त

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रोत्साहित किया जाएगा और उसे अपना समय अनुत्पादक और अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों में बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) किशोर और पुनरीक्षणवादी/नैसर्गिक संरक्षक प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।

(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा और नियमित रूप से उसकी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेगा जो संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को ऐसे आवधिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी जैसा कि किशोर न्याय बोर्ड निर्धारित करे।

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

25 अगस्त, 2026

टी.एस.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”